फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

वादी / ...ंह

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

बनाम

केशरदेवी

मुकदमा नं. 93 / 2020

प्रकरण : प्रा. पत्र अधीन आदेश 39 नियम 2(अ)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। प्रकरण को अवलोकन किया जिससे ज्ञात हुआ कि प्रकरण हाजा दिनांक 27.08.2020 से तलबी में लम्बित चला रहा है। तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये, गत तारीख पेशी पर वकील प्रार्थी ने सम्मन तलबी हेतु पेश किये जो जरिये रजिस्टर्ड एडी हेतु भिजवाकर वकील वादी को रसीदे व डिलीवर्ड रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देश दिये गये किये परन्तु वकील प्रार्थी न तो स्वयं हाजिर हुये ना ही प्रकरण में साबिका आदेश की पालना की है। अतः प्रकरण हाजा में वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर तथा आज तारीख पेशी पर बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने पर प्रकरण सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी व तकमील में खारिज किया जाता है। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	